



दिनांक:- 06.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वाहन चोर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 04 मोटरसाइकिल व 01 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 04.11.2023 को वादी श्री इकराम पुत्र लतीफ निवासी ग्राम सौहराणा थाना सरसावा, सहारनपुर द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा कस्बा बाजार से वादी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 313/2023 धारा 379 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वाहन चोरी की घटनाओं पर रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 05.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा बनखण्डी महादेव मन्दिर के पास सदिग्ध वाहनों की चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. मुस्तफा पुत्र मूसा नि0 मौ0 कस्सावान थाना सरसावा सहारनपुर व 2. विकास पुत्र विक्रम नि0 ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा सहारनपुर को मोटरसाइकिल स्प्लेन्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट चैसिस नं0 MBLHAR083GHJ01742 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 0313/2023 धारा 379 IPC) को कारण गिरफ्तारी बताते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर अभियुक्त मुस्तफा के घर से 1. फर्जी नम्बर प्लेट लगी मोटरसाइकिल स्प्लेन्डर (सही रजि नं0 HR 02 Y 1351), 2. पैशन-प्रो मोटरसाइकिल रजि0नं0 UP 11 AJ 3635 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 0315/2023 धारा 379 IPC) व 3. बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल रजि0नं0 UP-11 AJ-4515 व एक फर्जी नम्बर प्लेट को बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 316/2023 धारा 420/414/465 भादवि के पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय से समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि हम लोगों पैसों के लालच में मोटरसाइकिल करते हैं तथा नम्बर प्लेट बदलकर मोटरसाइकिल को औने पौने दामों में अनजान व्यक्तियों को बेच देते हैं। जिससे हम लोगों को अच्छी कमाई हो जाती है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मुस्तफा पुत्र मूसा नि0 मौ0 कस्सावान थाना सरसावा सहारनपुर
2. विकास पुत्र विक्रम नि0 ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 0313/2023 धारा 379 IPC थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 0315/2023 धारा 379 IPC थाना सरसावा सहारनपुर
3. मु०अ०सं० 316/2023 धारा 420/414/465 IPC थाना सरसावा स०पुर

बरामदगी का विवरण

- मो०सा० बिना नम्बर प्लेट स्प्लेन्डर प्लस चैसिस नं० MBLHAR083GHJ01742 व इंजन नं० HA10AGJHJA1742 रजि० नं० UP 11 BN 5396 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 313/2023 धारा 379 IPC)
- मो०सा० स्प्लेन्डर HR 02 Y 1353 की नम्बर प्लेट लगी हुई, चैसिस नं० MBLHA10EZB9C07180 व इंजन नं० HA10EFB9C12432 (सही रजि नं० HR 02 Y 1351)
- मो०सा० पेशन प्रो चैसिस नं० MBLHA10EWCGA27216 व इंजन नं० HA10EDCGA53805 रजि० नं० UP 11 AJ 3635 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 0315/2023 धारा 379 IPC)
- मो०सा० बजाज प्लेटिना चैसिस नं० MD2DDDZZZVPB24910 व इंजन नं० DJUBVB04944 रजि० नं० UP 11 AJ 4515
- 01 फर्जी नम्बर प्लेट

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. व०उ०नि० श्री नरेश सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री देवेश कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. है०कां० 892 अजय राठी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. है०का० 1006 तरुण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. है०कां० 1050 नितिन थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. का० 1259 विनीत कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



दिनांक – 06.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2023 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें में वांछित **अभियुक्त गुफरान उर्फ गुलफरान उर्फ शुशी पुत्र इरफान निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0सं0- 134/2023 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को कारण गिरफ्तारी बताते हुए सुल्तानपुर तिराहे से फिरोजाबाद आने वाले रास्ते से एक नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 164/2023 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट बनाम गुफरान के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा। अभियुक्त गुफरान ने पूछताछ पर बताया कि मैं लोगों को डराने-धमकाने व रोब जमाने के लिये अपने पास चाकू रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता:-

1. गुफरान उर्फ गुलफरान उर्फ शुशी पुत्र इरफान निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना सहारनपुर।

अभियुक्त गुफरान का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 225/2022 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना।
2. मु0अ0सं0- 64/2023 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना चिलकाना।
3. मु0अ0सं0- 134/2023 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट चालानी थाना चिलकाना।
4. मु0अ0सं0- 167/2023 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना चिलकाना।
4. निवारक कार्यवाही संख्या- 114/2023 धारा- 110 जी सीआरपीसी।
5. निवारक कार्यवाही संख्या- 118/2023 धारा- 3 यू0पी0 गुण्डा अधिनियम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 934 संजीव कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर।
3. का0 2071 मो0 इस्लाम थाना चिलकाना सहारनपुर



दिनांक – 06.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 181/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में थाना मिर्जापुर से वांछित चल रहे एक अभियुक्त **असलम पुत्र भूरा नि0 ग्राम ख्वासपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को दिनांक 06.11.2023 को कासमपुर पुलिया के पास से दविश देकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

असलम पुत्र भूरा नि0 ग्राम ख्वासपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0स0-186/2016 धारा 26 वन अधि0 व 379/411/504/506 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
- 2- मु0अ0सं0- 323/21 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना मिर्जापुर सहारनपुर।
- 3- मु0अ0स0-36/23 धारा 3/5/8 गौवध अधि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
- 4- मु0अ0सं0 181/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्र0नि0 राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 सतेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
4. का0 2453 संदीप कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
5. का0 2445 जयकिशन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।



दिनांक- 06.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त **रिहान पुत्र इमरान निवासी मौ० मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** सम्बंधित वाद सं०- 2729/22 मु०अ०सं०- 44/21 धारा- 307 भादवि थाना सरसावां ए०एस०जे० सहारनपुर व वाद सं०- 2360/23 मु०अ०सं०- 152/13 धारा- 379/411 भादवि मा० न्यायालय अपर सिविल जज चतुर्थ जनपद सहारनपुर को मौ० मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रिहान पुत्र इमरान निवासी मौ० मजहर हसन कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं०- 0430/2020 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. मु०अ०सं०- 044/2021 धारा- 307 भादवि चालानी थाना सरसावां सहारनपुर।
3. मु०अ०सं०- 097/2020 धारा- 380/457 भादवि चालानी थाना सरसावां सहारनपुर।
4. मु०अ०सं०- 045/2021 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट चालानी थाना चिलकाना सहारनपुर।
5. मु०अ०सं०- 152/2023 धारा- 379/411 भादवि चालानी थाना सरसावां सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:

1. उ०नि० मुकेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है०का० 246 हेमन्त कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. हो०गा० 1814 ऋषिपाल थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 6-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 6-11-23 को एक वारन्टी अभियुक्त **सोनू उर्फ बिजेन्द्र पुत्र पवन निवासी मौ० गणेश चौक कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद सं० 405/20 व मु०अ०स० 235/19 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर) को अभियुक्त गणेश चौक कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सोनू उर्फ बिजेन्द्र पुत्र पवन निवासी मौ० गणेश चौक कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० संदीप सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. हे०का० 362 अमित कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
3. का० 1606 दीपक यादव थाना गंगोह जिला सहारनपुर।



दिनांक: 6-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 250 ग्राम गांजा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सनुज कुमार यादव के कुशल नेतृत्व में जनकपुरी पुलिस द्वारा अभियुक्त **अमजद पुत्र इकराम निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी सहारनपुर** उम्र 27 वर्ष को चैकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु0अ0सं0- 248/23 धारा 18/20 NDPS ACT. पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अमजद थाना जनकपुरी का हिस्ट्रीशीटर भी है। अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष समय से पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त अमजद पुत्र इकराम निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

250 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 133/15 धारा 411/414/420 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 153/16 धारा 363 भादवि थाना कु0शेर, सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 265/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गागलहेडी, सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 266/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गागलहेडी, सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 144/22 धारा 60 आब0अधि0 थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 287/22 धारा 379/511 भादवि थाना को0नगर, सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 17/23 धारा 380/411 भादवि थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 25/23 धारा 380/411 भादवि थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
9. मु0अ0सं0 26/23 धारा 380/411 भादवि थाना जनकपुरी, सहारनपुर।
10. मु0अ0सं0 95/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जनकपुरी, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0श्री जितेन्द्र सिंह, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. उ0नि0श्री सोनू राणा, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
3. है0का0 731 पोपिन, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
4. है0का0 221 संजीव कुमार, थाना जनकपुरी सहारनपुर।
5. कां0 1873 विक्रान्त, थाना जनकपुरी सहारनपुर।



दिनांक: 06-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम के 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गया
गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 06.11.23 को 02 वारंटी अभियुक्तगण (1)- **इरफान पुत्र यासीन निवासी मौ० जोगियान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** (मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कक्ष संख्या 05 सहारनपुर के सम्बन्धित वाद सं० 954/21 व मु० अ० सं० 103/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, चालानी थाना नकुड़ जिला सहारनपुर) व (2)- **वारंटी कलीम पुत्र सरफराज निवासी मौ० बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** (मा० न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कक्ष संख्या 05 सहारनपुर के सम्बन्धित वाद सं० 954/21 व मु० अ० सं० 103/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, चालानी थाना नकुड़ जिला सहारनपुर) को इनके घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

इरफान पुत्र यासीन निवासी मौ० जोगियान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
कलीम पुत्र सरफराज निवासी मौ० बंजारान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ० नि० श्री मौ० जहाँगीर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है० का० 1122 प्रवीण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।



दिनांक 06.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री विशाल कुमार श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2023 को थाना बडगाँव पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्त प्रदीप पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम सांवतखेड़ी थाना बडगाँव सहारनपुर को सम्बन्धित वाद सं० 1460/22 धारा 354/509 भादवि मा० न्यायालय जे०एम देवबन्द, सहारनपुर को कारण गिरफ्तारी बताते हुए ग्राम सांवतखेड़ी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रदीप पुत्र राजकुमार नि० ग्राम सांवतखेड़ी थाना बडगाँव जनपद स०पुर

अभियुक्त प्रदीप का आपराधिक इतिहास

मु०अ०स० 67/22 धारा 347/354/376डी भादवि थाना बडगाँव स०पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री विशाल श्रीवास्तव थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री बनवारी लाल थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
3. है०का० 31 सुभाषचन्दथाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
4. का० 547 अंकुश कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 06.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा अवैध तरीके से वन से खैर की लकड़ी काटने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 06.11.2023 को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा वन की लकड़ी चोरी से काटने के मुकदमे वांछित चल रहे अभियुक्त राशिद पुत्र मकसूद नि० ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर को सम्बन्धित मु०अ०स० 144/23 धारा 26 वन अधि व 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर को कारण गिरफ्तारी बताते हुए बादशाही बाग स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पूर्व में भी वन से लकड़ी चोरी करने के कई मामलों में लिप्त है। अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता -

1. राशिद पुत्र मकसूद नि० ग्राम जानीपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

अभि० असलम का अपराधिक इतिहास -

1. मु०अ०स० 22/09 धारा 379 भादवि व 26/41/42 भारतीय वन अधि० थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. मु०अ०स० 26/12 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. मु०अ०स० 38/12 धारा 03 यूपी गुण्डा नियंत्रण अधि० थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. मु०अ०स० 107/09 धारा 379 भादवि व 26/41 भारतीय वन अधि० थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
5. मु०अ०स० 133/09 धारा 379 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
6. मु०अ०स० 144/23 धारा 26 वन अधि व 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी -

1. प्र०नि० श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
2. उ०नि० श्री भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. उ०नि० श्री सतेन्द्र कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. का० 2453 संदीप कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
5. का० 2445 जयकिशन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर



दिनांक:- 06.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना सरसावा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-188/2023 धारा 147/148/325/232/506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट के वांछित अभियुक्त **रोहित पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम पिलखना बक्काल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर** को बोनसा पुलिया से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रोहित पुत्र ओमपाल सिंह निवासी ग्राम पिलखना बक्काल थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अश्विनी कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. है0का0 886 रोहित कुमार, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 515 अनुराग, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. का0 2423 मनमोहन, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर



दिनांक: 06-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 17.04.2023 को वादी श्री आरिफ पुत्र इकराम निवासी ग्राम नयागांव थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा लिखित सूचना बाबत मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश नाम पता अज्ञात द्वारा वादी से 2,55,000 रुपये लूटकर ले जाने के के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 146/2023 धारा 392 भादवि के पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना से अभियुक्तगण 1. शाहिद, 2, रिजवान, 3, जुनैद, 4, अब्दुल व 5. अब्दुल के नाम प्रकाश में आये थे जिन्हे पूर्व में ही मुकदमा उपरोक्त में लूटे हुए रुपये के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 392 / 411/120बी भादवि की वृद्धि की गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद- सहारनपुर द्वारा अवैध धन अर्जित करने हेतु संगीन अपराध करने वाले सुसंगठित गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही हेतु दिशा – निर्देशों के क्रम में, वादी श्री जसवीर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम की कार्यवाही करते हुए दिनांक 20.10.2023 को उच्चाधिकारीगणों द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट जिसका गैंग लीडर अभियुक्त जुनैद उर्फ नवाब उपरोक्त है तथा शेष अभियुक्तगण इस गैंग के सदस्य हैं, बाबत उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा भादवि के अध्याय 17 में वर्णित लूट जैसे जघन्य अपराध कारित कर जनता में भय व आतंक व्याप्त कर अवैध धन अर्जित करने के सम्बन्ध में दाखिल किया। अनुमोदित शुदा गैंगचार्ट के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 370/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम 1- (गैंग लीडर) जुनैद उर्फ नवाब पुत्र इसरार उर्फ साना निवासी मौ0 किला कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर, 2- अब्दुल आहद पुत्र जिन्दा हसन निवासी मौ0 किला कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर, 3- शाहिद पुत्र इस्लाम निवासी मौ0 अनारकली कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर, 4- रिजवान पुत्र गफ्फूर निवासी मौ0 इलाही बक्स कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर, व 5- अब्दुल रहीम पुत्र खालिद निवासी मौ0 किला कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर के पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 20.10.23 को मु0अ0सं0 370/23 धारा 2/3 गैंगस्टर में वांछित अभियुक्त जुनैद उर्फ नवाब पुत्र इसरार उर्फ साना निवासी मौ0 किला कस्बा अम्बेहटापीर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर (गैंगलीडर) को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत गैंगस्टर अधिनियम के वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देशों के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.11.23 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त शाहिद पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला अनारकली कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को कारण गिरफ्तारी बताते हुए गंगोह तिराहा कस्बा अम्बेहटापीर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त शाहिद उपरोक्त पूर्व में भी थाना नकुड़ से जेल जा चुका है अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त शाहिद उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपने साथी अब्दुल आहद, जुनैद, रिजवान, व अब्दुल उपरोक्त के साथ मिलकर सीधे सादे लोगो से लूटपाट करते है। हमारे गैंग का लीडर जुनैद है । दिनांक 17.04.2023 को हम सब ने मिलकर नकुड-गंगोह रोड पर सैय्यद के नजदीक भट्टे के पास से एक व्यक्ति को तमन्चे से डराकर रूपयो का थैला छीन कर भाग गये थे उस छीने गये थैले से हमे कुल 2 लाख 55 हजार रूपये मिले थे उन रूपयो को हमने अपने अपने हिस्से में बाँट लिये थे जिन्हे पुलिस ने हमसे बरामद कर लिये थे ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. शाहिद पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला अनारकली कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शाहिद उपरोक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 146/2023 धारा 392 / 411/120बी भादवि

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जसवीर सिंह थाना नकुड जनपद सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री सिराजुद्दीन थाना नकुड जनपद सहारनपुर
3. है0का0 713 नितिन थाना नकुड जनपद सहारनपुर
4. का0 202 विवेक कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर



दिनांक:- 06.11.2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कुतुबशेर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 01 वारंटी अभियुक्त **शमीम पुत्र समयदीन निवासी उमेर गार्डन कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद सं० 85/17 सम्बन्धित न्यायालय माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 12 सहारनपुर, मु०अ०सं० 405/17 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर) को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। वारंटी अभियुक्त शमीम उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता:-

शमीम पुत्र समयदीन निवासी उमेर गार्डन कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० दीपक कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. का० 1929 मौ० जव्वाद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का० 1215 कपिल गौड थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 06-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 07 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अवैध नशीले पदार्थों कारोबार में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री चन्द्रसैनी सैनी के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 06.11.2023 को अवैध शराब का कारोबार करने वाले एक अभियुक्त **रोहित कुमार पुत्र स्व० नानकचन्द निवासी जयमंगला स्कूल वाली गली गुरुद्वारा रोड थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को मालगोदाम रोड के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 07 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त रोहित उपरोक्त के विरुद्ध मु०अ०स० 314/23 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रोहित कुमार पुत्र स्व० नानकचन्द निवासी जयमंगला स्कूल वाली गली गुरुद्वारा रोड थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

07 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का

आपराधिक इतिहास अभि० रोहित:-

1. मु०अ०स० 260/22 धारा 63 आबकारी अधि० थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० ओमकार सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3. है ओमपाल 519 0का० थाना कुतुबशेर सहारनपुर
4. है सोहनवीर 415 0का० थाना कुतुबशेर सहारनपुर



दिनांक: 06-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा नाबालिग से कुकर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 04.11.2023 वादी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री नेतराम निवासी बोहड़पुर थाना नांगल जिला सहारनपुर द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्त गुरमीत द्वारा खुद के पुत्र के साथ कुकर्म करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 286/23 धारा 377 भादवि व 5(M)/6 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्रीमती कुसुम भाटी के कुशल नेतृत्व में थाना नांगल पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त **गुरमीत कुमार पुत्र श्री जयप्रकाश निवासी बोहड़पुर थाना नांगल जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0सं0 286/23 धारा 377 भादवि व 5(M)/6 पोक्सो एक्ट को कारण गिरफ्तारी बताते हुए ग्राम कोटा में ग्राम कुराली को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. गुरमीत कुमार पुत्र श्री जयप्रकाश निवासी बोहड़पुर थाना नांगल जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्रीमती कुसुम भाटी थाना नांगल जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 1130 अनिल कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 286/23 धारा 377 भादवि व 5(M)/6 पोक्सो एक्ट



दिनांक: 06-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 शांतिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान

बरामद

बरामदगी का विवरण:-

- 03 लेडिज सूट ,
- 01 चादर
- 01 ओप्पो मोबाइल लाल रंग
- 01 हाथ की घड़ी
- 01 माथे का टीका
- 02 गले के सैट
- 01 जोड़ी पाजेब
- 02 कानों के टाप्स
- 01 नाक का फूल
- कुल 3000/- रुपये नकद

अवगत कराना है कि दिनांक 03.11.2023 को वादी श्री गुलफाम पुत्र जाहिद हसन निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर बाबत वादी की बहन व वादी के पड़ोसी शाहबान के बन्द मकान से अज्ञात चोरो द्वारा पचास-पचास हजार रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 245/23 धारा 380 भादवि के पंजीकृत किया गया एवं वादिया श्रीमती अनीता पत्नी कृष्ण निवासी गोकू बढेडी थाना फतेहपुर सहारनपुर हाल पता ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी सहारनपुर द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र बाबत वादिया के घर का ताला तोड़कर घर में रखे 5,000 रुपये व सामान चोरी हो जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 247/23 धारा 380 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त चोरी की घटनाओं का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण करने व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सनुज यादव के कुशल नेतृत्व में थाना जनकपुरी पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 06.11.2023 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. शहजान उर्फ जोना पुत्र इरफान निवासी सडक दूधली थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर व 2. मोहसीन पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर को कारण गिरफ्तारी बताते हुए ट्रांसपोर्ट नगर के पीछे की तरफ चकहरेटी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार करते हुए घटना का शीघ्र व सफल अनावरण किया गया। अभि0गण के कब्जे से उपरोक्त दोनों मुकदमों से सम्बन्धित चोरी का सामान 03

लेडिज सूट, 01 चादर, 01 ओप्पो मोबाइल लाल रंग, 01 हाथ की घड़ी, 01 माथे का टीका, 02 गले के सैट, 01 जोड़ी पाजेब, 02 कानों के टाप्स, 01 नाक का फूल, कुल 3000/- रुपये नकद बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर उपरोक्त मुकदमों में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी।

पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि हम दिन में ग्राम/मोहल्ले में घूमते हैं तथा जो मकान बन्द रहते हैं, उनमें चोरी कर लेते हैं। जो सामान आपने हमसे बरामद किया है यह भी हमने ग्राम सडक दूधली में मकानों से चोरी किया था। दोनों मकानों को भी हमने दिन में घूमकर देख लिया था तथा हमें यकीन हो गया कि मकान में कोई नहीं है तथा सब बाहर गये हैं और मकान में ताला लगा है तो हमने रात में मौका देखकर चोरी कर ली थी। आज हम यह सामान बेचने जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शहजान उर्फ जोना पुत्र इरफान निवासी सडक दूधली थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
2. मोहसीन पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम सडक दूधली थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 03 लेडिज सूट ,
- 01 चादर
- 01 ओप्पो मोबाइल लाल रंग
- 01 हाथ की घड़ी
- 01 माथे का टीका
- 02 गले के सैट
- 01 जोड़ी पाजेब
- 02 कानों के टाप्स
- 01 नाक का फूल
- कुल 3000/- रुपये नकद

अभियुक्त मोहसीन का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 87/23 धारा 379/411 भादवि थाना को0नगर स0पुर
2. मु0अ0सं0 26/21 धारा 307/34/398/401 भादवि थाना जनकपुरी स0पुर
3. मु0अ0सं0 28/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जनकपुरी स0पुर
4. मु0अ0सं0 250/21 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जनकपुरी स0पुर

अभियुक्त शहजान का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 40/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जनकपुरी, स0पुर

2. मु0अ0सं0 26/21 धारा 307/34/398/401 भादवि थाना जनकपुरी, स0पुर
3. मु0अ0सं0 27/21 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना जनकपुरी, स0पुर
4. मु0अ0सं0 54/16 धारा 13जी एक्ट थाना जनकपुरी स0पुर
5. मु0अ0सं0 227/23 धारा 60 आब0अधि0 थाना जनकपुरी, स0पुर
6. मु0अ0सं0 268/16 धारा 13जी एक्ट थाना जनकपुरी स0पुर
7. मु0अ0सं0 303/20 धारा 13जी एक्ट थाना जनकपुरी स0पुर
8. मु0अ0सं0 369/18 धारा 13जी एक्ट थाना जनकपुरी स0पुर
9. मु0अ0सं0 116/14 धारा 13जी एक्ट थाना जनकपुरी स0पुर
10. मु0अ0सं0 158/14 धारा 110जी सीआरपीसी थाना जनकपुरी स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह, थाना जनकपुरी, स0पुर
2. है0का0 731 पोपीन, थाना जनकपुरी, स0पुर
3. है0का0 221 संजीव, थाना जनकपुरी, स0पुर
4. का0 1873 विक्रान्त कुमार, थाना जनकपुरी, स0पुर



दिनांक: 06-11-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा अपहरण के मुकदमें में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर

अपहृता को किया गया सकुशल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 04.11.2023 को वादी द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त शेरखान द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 465/2023 धारा 363 भादवि के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना बेहट के कुशल नेतृत्व में दिनांक 06.11.2023 को मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **1. शेरखान पुत्र कामिल निवासी ग्राम दयालपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर** को कारण गिरफ्तारी बताते हुए कलसिया तिराहा, बेहट से गिरफ्तार कर अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी के आधार पर धारा 376 भादवि व 5एल/06 पाक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। और अपहृता को नारी निकेतन भिजवा दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का नाम व पता-

1. शेरखान पुत्र कामिल निवासी ग्राम दयालपुर थाना बेहट जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री योगेश शर्मा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री हरिओम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री प्रेमराज सिंह थाना बेहट जिला सहारनपुर
4. का0 185 हर्ष चौहान थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. म0पीआरडी गीता सैनी थाना बेहट जनपद सहारनपुर